संख्या-20/2018/564/60-2-18-2/3(14)/12

प्रेषक,

मासूम अली सरवर
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2018

विषय : अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम में एम0आई0एस0 रजिस्टर के भुगतान हेतु पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-142/बा0वि0परि0/अनु0मू0/2017-18, दिनांक 08 मई, 2017 एवं संख्या-2308/बा0वि0परि0/अनु0/2017-18, दिनांक 19 मार्च, 2018 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आईसीडीएस योजना के अधीन 08-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत एम0आई0एस0 रजिस्टर की आपूर्ति के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या-23/2015/966/60-2-15-2/3(14)/12, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा स्वीकृत कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि रूपये 6,91,43,634.00 (रूपये छः करोड़ इक्यानब्बे लाख तैंतालिस हजार छः सौ चौतीस मात्र) के आहरण की अनुमति शासनादेश संख्या-38/2015/1661/60-2-15-2/3(14)/12 दिनांक 16.07.2015 द्वारा प्रदान की गयी है जिसके क्रम में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के पत्र दिनांक 01.02.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि रूपये 6,83,01,174.00 (रूपये छः करोड़ तिरासी लाख एक हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) का आहरण करते हुए भुगतान किया जा चुका है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईसीडीएस योजना के अधीन 08-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत एम0आई0एस0 रजिस्टर की आपूर्ति के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या-23/2015/966/60-2-15-2/3(14)/12, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा स्वीकृत कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के पी0एल0ए0 में रखी गयी धनराशि रूपये 6,91,43,634.00 (रूपये छः करोड़ इक्यानब्बे लाख तैंतालिस हजार छः सौ चौतीस मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 8,42,460.00 (रूपये आठ लाख बयालिस हजार चार सौ साठ मात्र) आहरित कर एम0आई0एस0 रजिस्टर से सम्बन्धित भुगतान करने एवं राजकोष में जमा करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आहरित धनराशि का उपयोग उसी मद/प्रयोजन पर किया जायेगा, जिस हेतु यह धनराशि स्वीकृत कर पी0एल0ए0 में रखी गयी थी।

(2) व्यय के मद की आवश्यकता मानक एवं उपयोगिता आदि के सम्बन्ध में विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा।

(3) पी0एल0ए0 से धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब नियमानुसार क्रय-प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो एवं भुगतान की आवश्यकता उत्पन्न हो चुकी हो।

(4) पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में किसी भी परिस्थिति में नहीं रखी जायेगी।

(5) पी0एल0ए0 की अवशेष धनराशि रू0 8,19,044.00 राजकोष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए0जी0/दस-2018-10(50)/2011, दिनांक 14 मार्च, 2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-3-1085/दस-2018, दिनांक 30.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव

संख्या-20/2018/564(1)/60-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5. सम्बन्धित, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
7. राज्य योजना आयोग-1।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।